

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
डबल्यू. पी. (सी) सं. 2553/2020

पिंकी रवानी.....

याचिकाकर्ता।

- बनाम -

भारत संघ द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो, मोराबादी, राँची

.....प्रतिवादी।

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए: श्री मनोज कुमार भगत, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए: श्री बीके प्रसाद, श्री राजीव सिन्हा, ए एस जीआई के

जेसी

आदेश संख्या 4

दिनांक: 06.01.2021

इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता श्री मनोज कुमार भगत ने दस्तावेजों को निर्गत करने के लिए संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक उपयुक्त आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में उल्लेख किया गया है।

श्री बीके प्रसाद, विद्वान श्री राजीव सिन्हा, ए एस जीआई के जे सी , प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अनुमति दी जाती है।

रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस वापस लेने के कारण खारिज किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)